पत्रांकित

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965/230375- Fax No.230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com

पत्रांक 4730 / 12-1 दिनांक , चम्पावत 22-4-2025

डायरी सं० 115
दिनांक 26/4/2025
फाईल मार्क

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषय – जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.94 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online no-FP/UK/ Road /25934/2017)

संदर्भ – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/36/2018 एफ0सी0, दिनांक 27.02.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट के पत्रांक 262/पी0एम0जी0एस0वाई0/वन भूमि, दिनांक 26.03.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र0सं0	प्रस्ताव में पायी गयी आपत्तियां	आपत्तियों का निराकरण
1.	The DFO shall conduct an inspection and submit a detailed report that the road cutting has been done in the same alignment in which enumeration of trees been done or not. If alignment was changed then why it was not intimated to the Regional Office, MoEF&CC, Dehradun earlier. Therefore, the detailed report of DFO concerned along with the comment of Nodal officer shall be submitted to this office to take the decision in the above matter.	उक्त मोटर मार्ग का निरीक्षण करने के उपरान्त विषयगत मोटरमार्ग का kml file generate करने पर यह पाया गया कि भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग के मौलिक संरेखण के सापेक्ष वर्तमान में निर्मित मोटर मार्ग के संरेखण में (सॉफ्ट कॉपी ईमेल से संलग्न) marginal difference है। तत्समय उपलब्ध उपकरणों की accuracy उच्च कोटि की न होने के कारण धरातल पर वास्तविक संरेखण के अनुरूप संरेखन की KML File नहीं बन पायी, जिस कारण वर्तमान में निर्मित मोटर मार्ग के संरेखण की KML File तथा वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में प्रदर्शित संरेखण की KML File में भिन्नता परिलक्षित हो रही है। मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 304 है। प्रभावित 304 वृक्षों में से वास्तविक रूप से प्रभावित कुल 214 वृक्षों का ही पातन किया गया है। वृक्षों का छपान एवं पातन वर्तमान में निर्मित संरेखण में ही किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

पत्रांक 4730 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त प्रस्ताव को विशेष पत्रवाहक के माध्यम से तीन कार्यदिवस के भीतर वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा पहुँचाने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

JET
Ex. Eng.